राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–302/2012/सवाईमाधोपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
वार्ड–तृतीय सवाईमाधोपुर वृत्त गंगापुर सिटी। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स माँ श्री अम्बिका स्टोन क्रेशर कंपनी,
खांजना डूंगर, खंडार, सवाईमाधोपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित :

श्री एन. के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से
श्री सी. बी. अग्रवाल
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/02/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 302/उपा–अपील्स/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय वृत्त–गंगापुर सिटी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के तहत कायम मांग राशि रूपये 1,66,668/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसायी का वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा 23, 24 के तहत वैट 10 व 10ए के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें आलोच्य अवधि में व्यवसायी द्वारा गिट्टी की बिक्री मानते हुए एवं व्यवसायी के राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन में पंजीकृत होते हुए विभाग के सक्षम अधिकारी का वैट मुक्ति प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर व्यवसायी द्वारा की गई समस्त बिक्री पर कर व ब्याज आरोपित किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक एवं अनुचित बतलाते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा बेलास्ट का विक्रय किया है न कि गिट्टी का। इनके द्वारा वैट 10ए व वैट 10 की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की जिसमें वस्तु के नाम के स्थान पर बेलास्ट लिखा हुआ है। उनके द्वारा वर्ष 2008–09 से संबंधित समस्त बिल बुक प्रस्तुत की जिसके अवलोकन पर पाया गया कि इन जारी बिलों द्वारा प्रत्यर्थी ने बेलास्ट का ही विक्रय किया है एवं बिल में कोई कर वसूल नहीं किया गया है। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस फर्म का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की जिसमें व्यापार की किस्म बेलास्ट दिखाई गई है। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फर्म मालिक को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर व सवाईमाधोपुर के सर्टिफिकेट की प्रति प्रस्तुत की जिसमें फर्म को 29.10.2005 से 31.03.2006 तक का पंजीयन जारी किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने बताया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 2195 एफ–12(28) एफ.डी./टैक्स/2007 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार राजस्थान खादी व विलेज इण्डस्ट्री बोर्ड में पंजीकृत साबुन, ईंट, कोटास्टोन, मार्बल व सैण्ड स्टोन के व्यवसायी इस अधिनियम के तहत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे 01.04.2006 से पूर्व पंजीकृत हैं। इस नोटिफिकेशन में विभाग के अधिकारी का छूट प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। इसमें छूट नोटिफिकेशन दिनांक 27.03.1995 के तहत ही प्राप्त होगी। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें व्यवसायी द्वारा यह बताया गया है कि वह 2005–06 से बेलास्ट का ही विक्रय करता है एवं उनके द्वारा प्रस्तुत तिमाही विक्रय प्रपत्र व वार्षिक प्रपत्र के भाग–बी में बेलास्ट का विक्रय करना ही दर्शाया है। परन्तु भूलवश ट्रेडिंग एकाउण्ट में बेलास्ट के स्थान पर गिट्टी लिख दिया गया था। जो उनकी भूल थी।

6. उभयपक्षों की बहस व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणी एवं ट्रेडिंग अकाउण्ट में घोषित माल (Commodity), में कतिपय विरोधाभास है। फर्म द्वारा तिमाही विवरणियों में ब्लास्ट की बिक्री दर्शायी गयी है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में गिट्टी की बिक्री किया जाना घोषित किया गया है। जिला उद्योग केन्द्र सवाई माधोपुर द्वारा जारी पंजीयन पत्र क्रमांक 67 दिनांक 29.09.2007 में व्यवहारी फर्म द्वारा 'स्टोन ग्रिट' का विनिर्माण किया जाना उल्लेखित किया गया है। चूंकि व्यवहारी फर्म द्वारा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर व सवाईमाधोपुर से जो पंजीयन लिया गया है वो सेन्ड स्टोन की बिक्री के लिये ही कर में छूट का लाभ प्रदान करता है। अतः फर्म द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 में वास्तव में किस माल की बिक्री की गई है ?, विस्तृत जांच का बिंदु है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.08.2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 में किस माल की बिक्री की गई है, विस्तृत जांच करते हुए पुनः न्यायसंगत आदेश पारित करे।

7. फलस्वरूप सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष